न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/1595/2004/बाड़मेर

1– अनवर पुत्र श्री सेहला खां
2– श्रीमति चागू पत्नि श्री अकबर खाँ
सभी जाति मुसलमान निवासी ग्राम खालियानी तह शिव जिला बाड़मेर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– सरवर पुत्र मुकीम
2– सोढाखां पुत्र मुकीम
3– अधरीमखां पुत्र लकीफ
4– सलीम पुत्र बुरान खां
5– सफीया पुत्र चीनेसर
समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम लालासर तह0 शिव जिला बाड़मेर।

----प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जे0के0पन्त, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री अयूब खान, अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण।

––

निर्णय

दिनांकः 25–06–18

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपील सं0 52/2003 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 19–01–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के अधिनियम की धारा 53 एवं 88 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, बाड़मेर के न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर 4 तनकियात कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने वादी का वाद अपने निर्णय दिनांक 11–07–2003 द्वारा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के न्यायालय में मियाद बाहर अपील पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–01–2004 द्वारा स्वीकार कर सहायक कलक्टर, बाड़मेर के निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण को सहायक कलक्टर, बाड़मेर को प्रतिप्रेषित किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील मण्डल में पेश की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पोषणीय नहीं थी व प्रथम अपील मियाद बाहर थी किन्तु उन्होंने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री जो कि विधिवत् पारित की गई थी उसे निरस्त कर प्रतिप्रेषित करने में विधिक त्रुटि की है। उनका निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के विपरीत है। उनका तर्क था कि प्रत्यर्थीगण पर नोटिस विधिवत् तामील हुए किन्तु वे जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। यदि उन्हें रेस्टोरशन आदेश के विरूद्ध आपत्ति थी तो उसके विरूद्ध अपील या निगरानी पेश की जानी चाहिए थी। अपील डिक्री में रेस्टोरेशन आदेश की वैधता को चुनौति नहीं दी जा सकती। उपखण्ड अधिकारी ने नियमानुसार दावा साबित होने से डिक्री किया किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने रेस्टोरशन के आधार पर डिक्री को निरस्त करने में त्रुटि की है तथा उनके द्वारा जो आधार लिए गए वे अभिलेख के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी के हक में नया प्रकरण बनाया है।

अधीनस्थ अपील न्यायालय ने विक्रेता के इकबाली जवाबदावे पर गौर नहीं किया। प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है, उन्होंने आदेश को चुनौति नहीं दी, अतः वह आदेश अंतिम हो चुका है। उनका तर्क था कि अपीलार्थी के हक में जो विक्रय पत्र है, में पड़ौस दे रखे है वही काननून सही विक्रय पत्र है। यदि प्रत्यर्थी इसे चुनौति देना चाहता है तो उसका क्षैत्राधिकार दीवानी न्यायालय को प्राप्त है। उनका तर्क था कि विचारण न्यायालय द्वारा किस प्रक्रिया की पालना नहीं की गई, उसका अंकन राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में नहीं किया है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर का आक्षेरित निर्णय निरस्त किया जावें तथा सहायक कलक्टर, शिव का निर्णय एवं डिक्री बहाल रखा जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद को दिनांक 12 सितम्बर 2002 को वादीगण एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया था, जिसके पश्चात् दिनांक 04–04–2003 को वादीगण के अधिवक्ता ने मूल वाद को रेस्टोर किए जाने हेतु प्रा0 पत्र पेश किया, जिसके संबंध में अपीलार्थीगण को बिना कोई सूचना दिए एकतरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 29–05–2003 को वाद रेस्टोर कर दिया गया, जो कानून सही नहीं था। मूल वाद को रेस्टोर किए जाने के के पश्चात् मूल वाद की कार्यवाही में भी प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और विधि विरूद्ध रूप से प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकतरफा तौर पर निर्णय व डिक्री पारित किए गए, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपील न्यायालय ने प्रथम अपील को स्वीकार कर प्रतिप्रेषित करने किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की। उनका तर्क था कि विभाजन प्रस्ताव भी सही तैयार नहीं किए गए व मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए तथा तहसील में बैठकर ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए, जिस कारण प्रत्यर्थी के कब्जे काश्त वाली भूमि गलत रूप से अपीलार्थीगण को दी गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने में किसी

प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ अपील न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः द्वितीय अपील निरस्त की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तथा अधीनस्थ अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपील सं0 52/2003 में पारित निर्णय दिनांक 19–01–2004 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाए जाने के कारण उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर ने अपने निर्णय दिनांक 19–01–2004 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, शिव के एकतरफा (प्रत्यर्थी को सुने बिना) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–07–2003 को निरस्त करते हुए प्रकरण को सहायक कलक्टर, शिव को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर मूल वाद में निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही कर नये सिरे से पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें, जो कि विधिक प्रावधानों के अनुसार सही है।

8– अतः द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–01–2004 यथावत रखा जाता है। विधिक प्रावधानों के अनुसार सही है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष